न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक
(पीठासीन अधिकारी: प्रीति मीना, आर.ए.एस.)

दावा सं0——670 / 2025 (जीसीएमएस—2025 / 491)

प्रविष्टि दिनांक——17.12.2025

1. जयनारायण पुत्र गोरधन जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला टोंक राज०
2. श्योचन्दा पुत्र गोरधन मीणा जाति मीणा निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक—

फोत

2 / 1—बाबूलाल पुत्र श्योचन्दा जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक राज०

2 / 2—धोलूराम पुत्र श्योचन्दा जाति मीना निवासी काचरिया तह०निवाई जिला—टोंक राज०

2 / 3—गंगासहाय पुत्र श्योचन्दा जाति मीना निवासी काचरिया तह०निवाई जिला—टोंक राज०

2 / 4—रमेश पुत्र श्योचन्दा जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक राज०

2 / 5—लक्ष्मा बेवा श्योचन्दा जाति मीना निवासी काचरिया तह०निवाई जिला—टोंक राज०

3. प्रभू पुत्र गोरधन मीणा जाति मीणा निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक राज०

प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. मन्ना पुत्र भैरू जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टॉक राज०—**फोत**

1 / 1—लाली पुत्री मन्ना जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टॉक राज०

1 / 2—भागूती पुत्री मन्ना जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक राज०

1 / 3—गुल्ला पुत्री मन्ना जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक राज

2. कानी बेवा तुलसा जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक राज० — **फोत**

2 / 1—लक्ष्मीनारायण माता कानी पिता तुलसा जाति मीणा निवासी काचरिया तह० निवाई—**फोत**

2 / 1 / 1—रोशन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक राज०

2 / 1 / 2—कमल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक

2 / 1 / 3—गणेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक

2 / 1 / 4—गोपी बेवा लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी काचरिया तह० निवाई जिला—टोंक

3. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री रमेश कुमार शर्मा — वकील वादीगण
पेराकार सरकार— तहसीलदार निवाई की ओर से

निर्णय

प्रार्थना—पत्र रिव्यू अन्तर्गत धारा 151, 152 व सपठित धारा 114 सीपीसी

बाबत् दावा बहक इस्तकरार हक उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज तहत धारा 88 राज0 टिनेन्सी एक्ट

दिनांक : 10/3/26

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि उपरोक्त वाद में वादीगण द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 के खाता संख्या 58 में वर्णित आराजी कुल किता 10 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा का पेत्रिक भूमि होने से मान्य न्यायालय में उभय पक्षकारान ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया था किन्तु न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित भूमि के साथ—साथ भूमि खसरा नं. 34, 618, 619, जो वादीगण नेजरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र दिनांक 29—6—1972 को क्रय की थी उक्त भूमि को वादीगण ने विक्रेता जगन्नाथ पुत्र सुखदेवा जाति मीणा निवासी

काचरिया तह० निवाई जिला–टॉक से विल एवज मुवलिग 1300/– रूपये में कय शुदा भूमि थी उस भूमि का इन्द्राज उक्त निर्णय व डिकी में गलत रूप से अंकन कर दिया जिससे उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम उनके जीवनकाल में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो गई जिसको राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना एवं न्यायालय की डिकी में लिपीकिये त्रुटि व टंकण त्रुटि को दुरूस्त करके उक्त निर्णय का पुर्नावलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त राजीनामा में गलत रूप से कुल किता 13 कुल रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा अंकन किया गया है जो किसी भी जमाबन्दी से पैत्रिक साबित नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है।

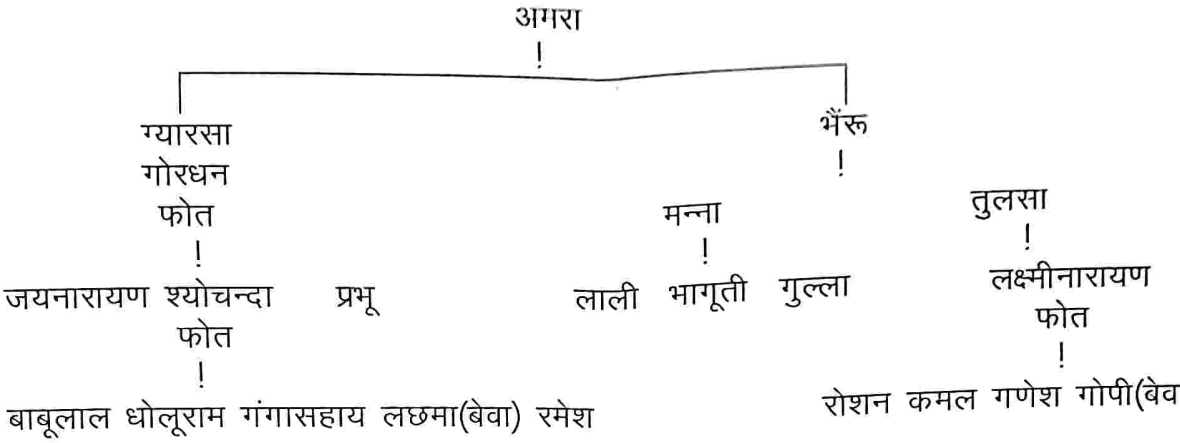

यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि में गलत त्रुटि होने से एवं गलत खातेदारी दर्ज होने से उक्त वर्णित भूमि को प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। उल्लेखनीय है कि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में मात्र पैत्रिक भूमि के सम्बन्ध में खाता सं. 58 जमाबन्दी सम्वत् 2044–47 के कुल किता 10 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किया था परन्तु न्यायालय ने खसरा नं. 34 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खं.नं. 618 रकबा 1 बीघा, तथा खं.नं. 619 रकबा 7 बिस्वा कुल कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का गलत रूप से जो दिया गया इस कारण उक्त निर्णय को दुरूस्त किया जाना एवं पैत्रिक भूमि के आधार पर संशोधित किया जाना आवश्यक है। उक्त आवेदन में खातेदार श्योचन्दा, लक्ष्मीनारायण, कानी के फोत होने से उनके वारिसान को आवेदन में जोड़ा गया है। मान्य न्यायालय द्वारा पुश्तैनी भूमि व रजिस्टर्ड कय शुदा भूमि के सम्बन्ध में उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व कोई अवलोकन नहीं किया इस कारण भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। तथा पुश्तैनी भूमि होना रिकार्ड से स्पष्ट साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि दिनांक 29.06.1989 के राजीनामे के आधार पर पुश्तैनी भूमि के आधार पर निर्णय किये जाने के आदेश फरमावें एवं रजिस्टर्ड कय शुदा भूमि को निर्णय किये जाने के आदेश फरमावें एवं रजिस्टर्ड कय शुदा भूमि को निर्णय से हटाने के आदेश फरमावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी, विकय पत्र की प्रति आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण समस्त के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित मूल पत्रावली श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, टोंक से चाही गई। मूल पत्रावली प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.06.1989 को माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर टोंक प्रथम में जेरकार प्रकरण संख्या 130/1989 बउनवान मन्ना बनाम जयनारायण ने पहाड़ी कैंप में राजीनामा पेश किया था। लेकिन सहवन से राजीनामे में प्रार्थीगण की कयशुदा भूमि ख0न0 34 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 618 रकबा 01 बीघा तथा ख0न0 619 रकबा 7 बिस्वा का गलत रूप से इन्द्राज कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण की भूमि का मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 29.06. 1989 को वादी एवं प्रतिवादीगण के इन्द्राज हो गया है। जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण जो कि मूल वाद में प्रतिवादीगण है कि कयशुदा भूमि है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रिव्यू अन्तर्गत धारा 151, 152 व सपठित धारा 114 सीपीसी स्वीकार कर मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 29.06.1989 में संशोधन करते हुये प्रार्थीगण की कयशुदा भूमि ख0न0 34 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 618 रकबा 01 बीघा तथा ख0न0 619 रकबा 7 बिस्वा का प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि मूल वाद दावा बहक इरतकरार हक उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज तहत धारा 88 राज0 टिनेन्सी एक्ट दिनांक 29.06.1989 को माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर टोंक प्रथम द्वारा निर्णित किया गया था जिसमें राजीनामे के आधार पर वैतृक भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये निर्णय पारित किया गया था। लेकिन प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 34 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 618 रकबा 01 बीघा तथा ख0न0 619 रकबा 7 बिस्वा प्रार्थीगण की कयशुदा भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू अन्तर्गत धारा 151, 152 व सपठित धारा 114 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली मूल वाद में शामिल दस्तावेजात् एवं विक्रय पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि ख0न0 34 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 618 रकबा 01 बीघा तथा ख0न0 619 रकबा 7 बिस्वा प्रार्थीगण की कयशुदा भूमि है न कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि। मूल वाद में पुश्तैनी भूमि का वादी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था लेकिन सहवन से प्रार्थीगण की कयशुदा भूमि को पुश्तैनी लिखते हुये राजीनामा पेश किया गया था। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि के साथ–साथ प्रार्थीगण की कयशुदा भूमि में भी अप्रार्थीगण को 1/2 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया था। अप्रार्थीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे है। जो कि प्रार्थना पत्र के संबंध में उनकी स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू अन्तर्गत धारा 151, 152 व सपठित धारा 114 सीपीसी दस्तावेजात् के आधार पर साबित है एवं स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र रिव्यू अन्तर्गत धारा 151, 152 व सपठित धारा 114 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। बउनवान प्रकरण मन्ना बनाम जयनारायण प्रकरण संख्या 130/89 में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर टोंक प्रथम से पारित निर्णय दिनांक 29.06.1989 में आंशिक संशोधन करते हुये वाके ग्राम काचरिया में स्थित भूमि आराजी ख0न0 34 रकबा 0.3541 है0, ख0न0 618 रकबा 0.2529 है0 तथा ख0न0 619 रकबा 0.0885 है0 को उक्त निर्णय दिनांक 29.06.1989 से हटाया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है उक्त खसरा नम्बरान् 34, 618, 619 का नामांतकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.06.1972 के आधार पर अमल दरामद करें।

निर्णय आज **दिनांक** 10/8/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी, निवाई